भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *84
गुरूवार, 27 जुलाई, 2023/5 श्रावण, 1945 (शक)

महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में गिरावट

***84. श्री राघव चड्ढाः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जून 2022 में जारी विश्व बैंक की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है, जिसमें वर्ष 2005 के बाद से भारतीय महिलाओं की श्रमिक बल में भागीदारी में लगातार गिरावट आने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई 2018 से औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार दर का तिमाही-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में गिरावट" के संबंध में श्री राघव चड्ढा द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 27.07.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *84 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नुसार हैः

वर्ष	**एलएफपीआर (% में)**
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 के दौरान 23.3% की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 32.8% हो गई है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 23.3%, 28.7%, 31.4% और 31.7% था। पीएलएफएस के तहत तिमाही अनुमान, शहरी क्षेत्र के लिए केवल एमओएसपीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके साथ-साथ दिनांक 23.07.2023 तक, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के कुल पंजीकरण में से लगभग 53% महिलाएं हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आंकड़े, सामान्य क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कामगारों को कवर करता है। ईपीएफओ अंशदाताओं में निवल वृद्धि, रोजगार सृजन, रोजगार बाजार की सामान्य स्थिति और संगठित एवं अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। वर्ष 2018-19 से

वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान महिला ईपीएफ अंशदाताओं में हुई निवल वृद्धि इस प्रकार से है:

(संख्या में)

वर्ष	**महिला ईपीएफ अंशदाताओं में हुई शुद्ध वृद्धि (सभी आयु)**
2018-19	13,05,172
2019-20	15,93,614
2020-21	13,98,080
2021-22	26,18,728
2022-23	28,69,688

स्रोत: ईपीएफओ, पेरोल डेटा

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****